न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2014/0082 दर्ज तिथिः–05.06.2014

1. रामावतार शर्मा पुत्र बद्री प्रसाद जाति बागडा ब्राहमण निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी–अलवर।

................प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार सहाब थानागाजी भू–स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री डी.पी दीक्षित
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दूधा पुत्र भरता माली निवासी थानागाजी से आराजी खसरा संख्या साबिक 740/1 बीघा 17 बिस्वा, 749/12 बिस्वा, 753/11 बिस्वा वाके ग्राम थानागाजी जरिये बयनामा खरीद की थी जिसका इन्तकाल संख्या 1125 बहक प्रार्थी के नाम स्वीकृत होकर जमाबन्दी सवंत्–2054 प्रार्थी की खातेदारी दर्ज की गई। परन्तु बन्दोबस्त संवत् 2060 द्वारा साबिक खसरा संख्या 740/1 बीघा 17 बिस्वा, 749/12 बिस्वा, 753/11 बिस्वा से हाल खसरा संख्या 800/0.47 है0, 810/0.15 है0 व 815/0.14 है0 कायम कर प्रार्थी की खातेदारी का इन्द्राज हटाकर पूर्व विक्रेता दुधा पुत्र भरता के नाम खातेदारी इन्द्राज कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अतः निवेदन है कि हाल खसरा संख्या 800/0.47 है0, 810/0.15 है0 व 815/0.14 है0 वाकै ग्राम थानागाजी पर मुताबिक इन्तकाल संख्या 1125 व जमाबन्दी सवंत्–2054 प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:05 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07, 14 व 15 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 08 लगायत 13 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 13 की कोई उज्र ऐतराज

नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में हाल खसरा संख्या 800/0.47 है0, 810/0.15 है0 व 815/0.14 है0 वाकै ग्राम थानागाजी पर मुताबिक इन्तकाल संख्या 1125 व जमाबन्दी सवंत्–2054 प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थीगण को भी इस सम्बन्ध में कोई उज्र ऐतराज नहीं है।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073–76 वाके ग्राम थानागाजी के नवीन खाता संख्या 316 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
दूधा पुत्र भरथा जाति माली खातेदार	800	0.47 है0
	810	0.15 है0
	815	0.14 है0

5. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम थानागाजी का प्रासंगिक राजस्व रीकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार है:–

बन्दोबस्त संवत् 2060			
खसरा नम्बर हाल	रकबा	साबिक	रकबा
800	0.47 है0	740	01 बीघा 17 बिस्वा
810	0.15 है0	749	12 बिस्वा
815	0.14 है0	753	11 बिस्वा

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2054 वाके ग्राम थानागाजी के खाता संख्या 233 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा
233	दूधा पुत्र भरथा माली साकिन देह खातेदार	740	01 बीघा 17 बिस्वा
		749	12 बिस्वा
		753	11 बिस्वा
		686	01 बीघा 14 बिस्वा

7. इस प्रकार शामिल मिसल पंजीकृज बयनामा दिनांक 20.06.1997 का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:05 IST
Reason: SelfAttested

खसरा	रकबा	विक्रेता	क्रेता
740	01 बीघा 17 बिस्वा	दूधा पुत्र भरथा माली उम्र 55 साल निवासी ढाणी बन थानागाजी	रामावतार शर्मा महेश चंद शर्मा
749	12 बिस्वा		
753	11 बिस्वा		

			सुरजमल शर्मा पुत्रान बद्री प्रसाद जाति बागडा ब्राहमण निवासी थानागाजी

8. इस प्रकार शामिल मिसल नामान्तकरण संख्या 1125 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार हैः–

खसरा	रकबा	पूर्व की प्रविष्टि	पश्चात की प्रविष्टि
740	01 बीघा 17 बिस्वा	दूधा पुत्र भरथा माली उम्र 55 साल निवासी ढाणी बन थानागाजी	रामावतार महेश चंद सुरजमल पुत्रान बद्री प्रसाद जाति बागडा ब्राहमण साकिन देह खातेदार
749	12 बिस्वा		
751	11 बिस्वा		

9. उक्त नामान्तकरण संख्या 1125 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी जरिये रजिस्ट्री पुस्तक संख्या–01, जिल्द संख्या–64, पृष्ट संख्या–42, क्रम संख्या–296 दिनांक–20.06. 1997 तादादी–1,71,000 के मुताबिक दर्ज किया गया। उक्त बयनामा का विवरण बिन्दु संख्या–07 के अनुसार खसरा संख्या 740, 749 व **753** वाके ग्राम थानागाजी के विपरित खसरा संख्या 740, 749 व **751** वाके ग्राम थानागाजी पर दर्ज किया गया है। यहां अवलोकनीय है कि मुताबिक बयनामा में विक्रेता द्वारा खसरा संख्या **753** का बेचान किया गया है जबकि खसरा संख्या **751** का इन्तकाल दर्ज किया गया है। उक्त दोनों खसरा 751 व 753 का रकबा 11 बिस्वा समान दर्ज किया गया है। इससे यह संभावना प्रतीत होती है कि सहवन से नामान्तकरण संख्या 1125 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी में खसरा संख्या **753** के स्थान पर **751** लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हो गया।

10. इस प्रकार शामिल मिसल जमाबन्दी संवत्–2054 वाके ग्राम थानागाजी का बाद अमल दरामद नामान्तकरण संख्या 1125 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा
233	दूधा पुत्र भरथा माली साकिन देह खातेदार	740	01 बीघा 17 बिस्वा
		749	12 बिस्वा
		753	11 बिस्वा
		686	01 बीघा 14 बिस्वा
		नोटः– इन्तकाल संख्या 1125 बय खसरा संख्या 740/01 बीघा 17 बिस्वा, 749/11 बिस्वा, 753/01 बीघा 14 बिस्वा बहक रामावतार महेशचंद सूरजमल पुत्रान बद्रीप्रसाद बागडा ब्राहमण के नाम स्वीकार।	

11. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

- *उक्त अवधि [illegible] में भू प्रबंध प्रक्रिया विचाराधीन होने के कारण भू–[illegible] द्वारा उक्त नामान्तकरण का अमल मिसल [illegible] जिस कारण विक्रय शुदा आराजी [illegible] के नाम ही [illegible] रह गई जो आदिनांक तक यथावत दर्ज रिकॉर्ड है।*
- *मुताबिक प्रार्थना–पत्र के आराजी [illegible] संख्या 810, 815, 800 पर मौके पर मजमेआम में जानकारी की गई जिस पर क्रेता गण का कब्जा काश्त पाया गया।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:05 IST
Reason: SelfAttested

- *प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज नामान्तकरण संख्या–1125, मिसल बन्दोबस्त संवत्–2060 के खाता संख्या 244, हाल जमाबन्दी संख्या–2073–76 के खाता संख्या 316 के अनुसार हाल खसरा संख्या 800, 810, 815 में विक्रेता दूधा पुत्र भरथा कोम माली के स्थान पर क्रेतागण रामावतार महेशचंद सूरजमल पिसरान बद्रीप्रसाद जाति बागडा ब्राहमण साकिन देह के नाम शुद्ध किया जाना उचित होगा।*

12. उक्त विश्लेषण के अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा साबिक खसरा संख्या 740/1 बीघा 17 बिस्वा, 749/12 बिस्वा, 753/11 बिस्वा वाके ग्राम थानागाजी को जरिये बयनामा दिनांक 20.06.1997 खरीद की थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 1125 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी बहक प्रार्थीगण के नाम स्वीकृत होकर जमाबन्दी सवंत्–2054 प्रार्थी की खातेदारी दर्ज की गई। परन्तु बन्दोबस्त संवत् 2060 द्वारा साबिक खसरा संख्या 740/1 बीघा 17 बिस्वा, 749/12 बिस्वा, 753/11 बिस्वा से हाल खसरा संख्या 800/0.47 है0, 810/0.15 है0 व 815/0.14 है0 कायम कर प्रार्थी की खातेदारी का इन्द्राज का अमल दरामद नहीं कर पूर्व विक्रेता दुधा पुत्र भरता के नाम खातेदारी इन्द्राज को यथावत मुताबिक साबिक रिकॉर्ड रख दिया। जबकि हाल खसरा संख्या 800/0.47 है0, 810/0.15 है0 व 815/0.14 है0 कायम कर प्रार्थी की खातेदारी का इन्द्राज का अमल दरामद होकर प्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन कानूनी रूप से उचित था। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व के विक्रेता दूधा पुत्र भरता जाति माली संबंधी इन्द्राज को मुताबिक बयनामा दिनांक 20.06.1997, नामान्तकरण संख्या 1125 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी बहक प्रार्थीगण तथा जमाबन्दी सवंत्–2054 खाता संख्या–233 वाके ग्राम थानागाजी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 बयनामा दिनांक 20.06.1997, नामान्तकरण संख्या 1125 दिनांक 15.07.1997 वाके ग्राम थानागाजी बहक प्रार्थीगण तथा जमाबन्दी सवंत्–2054 खाता संख्या–233 वाके ग्राम थानागाजी व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं हाल खसरा संख्या 800/0.47 है0, 810/0.15 है0 व 815/0.14 है0 वाके ग्राम थानागाजी पर विक्रेता **दुधा पुत्र भरता जाति माली** के अंकन को कलमजन कर प्रार्थीगण क्रेतागण **रामावतार महेशचंद सूरजमल पिसरान बद्रीप्रसाद जाति बागडा ब्राहमण साकिन देह** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:05 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)